न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री रोहिताश्व सिंह तोमर आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 34 / 2024

बउनवान

हंसराज आयु 65 वर्ष पुत्र श्री नन्दलाल जाति मीणा, निवासी बराना, तहसील बारां, जिला बारां, राज0 (अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां (रेस्पोंडेंट)

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री ओम प्रकाश मेहता II, अभिभाषक (अपीलांट)

2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक– 21.10.2024

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 13.02.2024 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम बराना तहसील बारां की आराजी खसरा नम्बर 137, 138, 141, 142 की कुल रकबा 8.00 है. किस्म–चारागाह भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के तहत दोषी करार देते हुए 4000 / – रू.अर्थदण्ड एवं एक माह के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपीलांट ने अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर विद्यमान तथ्यों एवं दस्तावेजों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलांट का उक्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं रहा है और न किसी सरकारी भूमि पर उसका कब्जा है। नायब तहसीलदार बारां द्वारा दिनांक 29.01.2024 को राज0 भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 91 के अधीन दिनांक 13.02.2024 को उपस्थित होने के लिये नोटिस जारी किया गया जबकि दिनांक 13.02.2024 को निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बारां द्वारा छपे हुए परफोर्मा पर पारित किया गया है इससे स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार बारां द्वारा कोई निर्णय पारित नहीं किया है इस प्रकार निर्णय प्रथम दृष्टया ही संदेहप्रद है। छपे हुए परफोर्मा में भरकर पारित किया गया निर्णय निर्णय की श्रेणी में नहीं आता है इसलिये उक्त निर्णय निरस्त योग्य है। हल्का पटवारी बराना का बयान भी छपे हुए परफोर्मे मे है जो बयान की श्रेणी में नहीं आता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सुनवायी जवाबदेही का अवसर दिये, बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये उक्त त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया गया है। दिनांक 13.02.2024 को ही जप्ती व बेदखलीनामा दर्शाया गया है व उसी दिन फर्द नीलामी तैयार की गई है इससे स्पष्ट होता है कि पूर्व धारणा बनाकर बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये निर्णय पारित किया गया है। जो विधि के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने काबिल है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 13.02.2024 निरस्त फरमावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.11.12 10:13:02 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को गलत तथ्यों के आधार पर सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण कार्यवाही एक दिन दिनांक 13.02.2024 में ही निस्तारित की है। इससे स्पष्ट है कि पूर्व धारणा बनाकर अपीलांट को सजायाब किया गया है। अपीलान्ट को बिना सुनवायी जवाबदेही का अवसर दिये, बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये उक्त एकतरफा निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय खारिज फरमाया जावे।

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने अभिभाषक अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट का यह कथन नितान्त असत्य है कि उसे सुनवायी एवं जवाबदेही का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत संबंधित ग्राम में केम्प लगाकर प्रकरण में सम्पूर्ण प्रकिया एक दिन में पूर्ण की जा सकती है। अपीलांट द्वारा किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती पाये जाने पर ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सजायाब किया गया है। अपीलांट द्वारा उक्त आराजी पर संवत् 2079 में भी अतिक्रमण किया था जिसे प्रकरण संख्या 187/2023 में पारित निर्णय दिनांक 28.02.2023 से बेदखल किया गया था। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस उभयपक्ष की सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी ख0नं0 138, 141 रकबा 1.92 है0 ग्राम बराना पर सम्वत् 2079 में भी अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 187/2023 में पारित निर्णय दिनांक 28.02.2023 से बेदखल किया जाना पत्रावली में संलग्न बयान पटवारी हल्का से प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर ही सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 980/2024 में पारित आदेश दिनांक 13.02.2024 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.11.12 10:13:02 IST
Reason: SelfAttested

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)